

संख्या-841/एक-10-2024-33(36)/2023

प्रेषक,

राम केवल,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, झांसी, गोंडा, अयोध्या, अमरोहा, कुशीनगर, जौनपुर, कानपुरशहर, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, कानपुर देहात, मैनपुरी, मेरठ, औरैया, शाहजहांपुर, उन्नाव, बांदा, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, बरेली, हापुड, अमेठी, बागपत, कन्नौज, अलीगढ़, रायबरेली, आजमगढ़ एवं इटावा।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक 21/05/2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में डूबकर होने वाली मृत्यु से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं०-387/एक-11-2021-4(जी)/2015, दिनांक 09.06.2021 द्वारा कुआं, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूब कर होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रु० 1873.00 लाख (रूपये अठ्ठारह करोड़ तिहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखने की पर रखने की श्री -:राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं

क्र०	जनपद का नाम	मद-09	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रु० में)
1	2	3	4
1	सिद्धार्थनगर	डूबकर होने वाली मृत्यु	10000000.00
2	पीलीभीत	डूबकर होने वाली मृत्यु	6000000.00
3	झांसी	डूबकर होने वाली मृत्यु	8000000.00
4	गोंडा	डूबकर होने वाली मृत्यु	5000000.00
5	अयोध्या	डूबकर होने वाली मृत्यु	5000000.00
6	अमरोहा	डूबकर होने वाली मृत्यु	2000000.00

7	कुशीनगर	इबकर होने वाली मृत्यु	2800000.00
8	जौनपुर	इबकर होने वाली मृत्यु	5000000.00
9	कानपुर शहर	इबकर होने वाली मृत्यु	8000000.00
10	प्रयागराज	इबकर होने वाली मृत्यु	2500000.00
11	आगरा	इबकर होने वाली मृत्यु	10000000.00
12	लखनऊ	इबकर होने वाली मृत्यु	2000000.00
13	कानपुर देहात	इबकर होने वाली मृत्यु	6000000.00
14	मैनपुरी	इबकर होने वाली मृत्यु	2500000.00
15	मेरठ	इबकर होने वाली मृत्यु	3200000.00
16	औरैया	इबकर होने वाली मृत्यु	4000000.00
17	शाहजहांपुर	इबकर होने वाली मृत्यु	10000000.00
18	उन्नाव	इबकर होने वाली मृत्यु	5000000.00
19	बांदा	इबकर होने वाली मृत्यु	5000000.00
20	बुलन्दशहर	इबकर होने वाली मृत्यु	8000000.00
21	गौतमबुद्धनगर	इबकर होने वाली मृत्यु	40000000.00
22	बरेली	इबकर होने वाली मृत्यु	2500000.00
23	हापुड	इबकर होने वाली मृत्यु	1200000.00
24	अमेठी	इबकर होने वाली मृत्यु	11000000.00
25	बागपत	इबकर होने वाली मृत्यु	2000000.00
26	कन्नौज	इबकर होने वाली मृत्यु	3000000.00
27	अलीगढ़	इबकर होने वाली मृत्यु	1000000.00
28	रायबरेली	इबकर होने वाली मृत्यु	10000000.00
29	आजमगढ़	इबकर होने वाली मृत्यु	5000000.00
30	इटावा	इबकर होने वाली मृत्यु	1600000.00
योग			187300000.00
(रु0 अट्ठारह करोड तिहत्तर लाख मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्बन्ध में निर्गत पत्र संख्या- 437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी,

2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रिलीफ मेजर के सम्बन्ध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राहत वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(4) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक

31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1873.00 लाख (रू0 अठ्ठारह करोड तिहत्तर लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by राम

केवल

Date: 21-05-2024 11:01:37

Reason: Approved (राम केवल)

विशेष सचिव।

संख्या- 841(1)/एक-10-2024, तदिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30 प्र0 प्रयागराज।
- 2- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, 30 प्र0 लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, 30 प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, 30 प्र0, लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30 प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30 प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, 30 प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-22/05/2024

प्रेषण संख्या:- 841
आवंटन आदेश संख्या:- 001-841
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	3200000 4800000	3200000 4800000
2	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	8000000 13100000	8000000 13100000
3	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	1000000 2500000	1000000 2500000
4	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 22000000	10000000 22000000
5	मैनपुरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2500000 3500000	2500000 3500000
6	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2500000 2500000	2500000 2500000
7	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 12000000	10000000 12000000
8	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	6000000 15200000	6000000 15200000
9	इटवा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	1600000 6200000	1600000 6200000
10	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	8000000 8000000	8000000 8000000
11	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2500000 2500000	2500000 2500000
12	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	8000000 8000000	8000000 8000000
13	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 12500000	5000000 12500000
14	जौनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 5000000	5000000 5000000
15	आजमगढ़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 5000000	5000000 5000000
16	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2000000 3000000	2000000 3000000
17	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 5000000	5000000 5000000
18	रायबरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	10000000 13000000	10000000 13000000
19	अयोध्या-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	5000000 8000000	5000000 8000000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
20	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
21	कानपुर देहात-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	6000000 6000000	6000000 6000000
22	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 10000000	10000000 10000000
23	कुशीनगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2800000 2800000	2800000 2800000
24	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	40000000 41200000	40000000 41200000
25	औरैया-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	4000000 9000000	4000000 9000000
26	बागपत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 3200000	2000000 3200000
27	कन्नौज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3000000 3000000	3000000 3000000
28	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	2000000 4000000	2000000 4000000
29	अमेठी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	11000000 14000000	11000000 14000000
30	हापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 5600000	1200000 5600000
	योग	वर्तमान प्रगामी	187300000 255600000	187300000 255600000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठारह करोड़ तिहत्तर लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पच्चीस करोड़ छप्पन लाख

(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन